पकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति एवं माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दाण्डिक अपील क्रमांक – 594/1993

दुकालू (मृत) एवं अन्य

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचार हेतु निर्णय

हस्ताक्षरित/-
सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

मैं सहमत हूँ।

हस्ताक्षरित/-

मुख्य न्यायाधिपति

निर्णय हेतु सूचिबद्ध: 09/11/2010

हस्ताक्षरित/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति एवं माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दाण्डिक अपील क्रमांक – 594/1993

अपीलार्थीगण –

1. दुकालू, पिता मोहनो कोल्टा, आयु लगभग 60 वर्ष — मृत — अपील आदेश दिनांक 03.05.2010 द्वारा निरस्त।
2. नंदराम, पिता दुकालू कोल्टा, आयु लगभग 30 वर्ष
3. श्रीराम, पिता दुकालू कोल्टा, आयु लगभग 29 वर्ष
4. जयराम, पिता दुकालू कोल्टा, आयु लगभग 25 वर्ष
5. हेतराम, पिता दुकालू कोल्टा, आयु लगभग 18 वर्ष
6. सहदेव, पिता दुकालू कोल्टा, आयु लगभग 21 वर्ष

सभी निवासी ग्राम – सेमोपालो, थाना – धरमजयगढ़, जिला – रायगढ़, म.प्र. (अब छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी –

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य),
थाना – धरमजयगढ़, जिला – रायगढ़ के माध्यम से।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील

उपस्थित :

अपीलार्थी की ओर से : श्री अभय तिवारी, अधिवक्ता I

प्रत्यर्थी राज्य की ओर से : श्री जमील अख्तर लोहानी, पैनल अधिवक्ता I

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

दिनांक: 09 नवम्बर, 2010 को पारित

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश द्वारा पारित::

1. प्रस्तुत अपील, दिनांक 15 मई, 1993 को पारित निर्णय के विरुद्ध दायर की गई है, जो कि सत्र प्रकरण क्रमांक 153/92 में माननीय प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा पारित किया गया था।
2. आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थीगण को निम्नलिखित धाराओं के अंतर्गत दोषसिद्ध कर दंडित किया गया है, साथ ही यह निर्देश दिया गया है कि सभी दंड साथ - साथ चलेंगे :

3. अपील लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी क्रमांक 1 – दुकालू का देहांत हो गया, अतः

अपराध	दंड
धारा 148 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत	1 वर्ष का सश्रम कारावास
धारा 149 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत	5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा ₹100/- का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक मामले में 1 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास
धारा 449 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत	5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा ₹100/- का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक मामले में 1 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास
धारा 460 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत	5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा ₹100/- का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक मामले में 1 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास
धारा 302/149 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत	आजीवन कारावास तथा ₹100/- का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास (दो गणना में)
धारा 302/149 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत	

उसके पक्ष में दायर की गई अपील अबेट (समाप्त) मानकर खारिज कर दी गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं:—

अपीलार्थी क्रमांक 1 दुकालू एवं मृतक कीर्तनराम आपस में सगे भाई थे। अन्य अपीलार्थी दुकालू के पुत्र हैं। सभी अपीलार्थी ग्राम सेमिपाली में अलग-अलग निवास करते थे। मृतक कीर्तनराम भी उसी ग्राम में पृथक रूप से रहता था। दोनों भाइयों के पास उनके पिता मोहनराम की पैतृक संपत्ति थी। मोहनराम ने अपनी संपूर्ण भूमि दुकालू (अपीलार्थी क्रमांक 1) को दे दी थी, किन्तु कीर्तनराम को उसके हिस्से की भूमि न्यायालय के माध्यम से विभाजन के पश्चात प्राप्त हुई थी। कीर्तनराम निःसंतान था। मृतका बेलमति बाई उसकी पहली पत्नी थी। जब बेलमति बाई को संतान नहीं हुई, तो कीर्तनराम ने सुरुबाई (अ.सा..-6) को, जो उनके साथ रह रही थी, दूसरी पत्नी के रूप में रख लिया। दूसरी पत्नी से भी कोई संतान नहीं हुई। इसके पश्चात कीर्तनराम ने अपनी संपत्ति बेचना प्रारंभ कर दिया, जिससे अपीलार्थी असंतुष्ट थे। एक विक्रय विलेख के विरुद्ध अपीलार्थी क्रमांक 1 के पुत्र ने नामांतरण कार्यवाही में आपत्ति भी प्रस्तुत की थी। दोनों परिवारों के बीच विवाद के कारण वर्ष 1988 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151, 107 एवं 116(3) के अंतर्गत कार्यवाही भी संपादित की गई थी। पूर्व में घटित एक घटना में, मृतक कीर्तनराम ने अपीलार्थी क्रमांक 1 एवं अपीलार्थी क्रमांक 4 के विरुद्ध न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय में एक आपराधिक शिकायत भी दायर की थी जिसकी सुनवाई दिनांक 27.08.1991 को निश्चित थी। अभियोजन का कथन है कि दिनांक 13-14 जुलाई, 1991 की मध्य रात्रि में अपीलार्थीगण ने एक अवैध सभा का गठन किया, घातक हथियारों से सुसज्जित होकर दंगा किया और सभा के सामान्य उद्देश्य के अनुरूप मृतक कीर्तनराम के घर में गुप्त रूप से प्रवेश (lurking house trespiass) किया तथा कीर्तनराम एवं उसकी पहली पत्नी बेलमति बाई की हत्या कर दी। यह कृत्य इस उद्देश्य से किया गया कि कीर्तनराम और अधिक संपत्ति न बेच सके और उसके एवं उसकी पत्नी की मृत्यु के उपरांत अपीलार्थीगण को संपूर्ण संपत्ति उत्तराधिकारी (reversioner) के रूप में प्राप्त

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हो जाए। घटना की प्रत्यक्षदर्शी सुरुबाई (अ.सा..-6) थी, जो मृतक कीर्तनराम की दूसरी पत्नी थी। अपीलार्थीगण ने पहले सुरुबाई (अ.सा..-6) के हाथ-पाँव साड़ी से बाँध दिए, उसके मुँह में कपड़े ठूँस दिए, और तत्पश्चात दोनों मृतकों की हत्या कर दी। अपीलार्थीगण के घटना-स्थल से चले जाने के पश्चात, सुरुबाई ने किसी प्रकार अपने दाँतों की सहायता से साड़ी खोली और तत्काल गाँव के लोगों — नगराम, शोकिलाल (अ.सा..-1), दीनबंधु, राजेन्द्र कुमार एवं हरिप्रसाद आदि — के पास पहुँची। शोकिलाल (अ.सा..-1) ने संबंधित पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/1) दर्ज कराई। मर्ग सूचना (प्रदर्श-पी/2 एवं पी/25) भी शोकिलाल द्वारा दी गई। जाँच अधिकारी ने तत्काल स्थल पर पहुँचकर पंचों को नोटिस (प्रदर्श-पी/14 एवं पी/15) देकर दोनों मृतकों का पंचनामा (प्रदर्श-पी/16 एवं पी/17) तैयार किया। मृतक कीर्तनराम के हाथ लूंगी से बँधे हुए थे तथा उसके शरीर पर अनेक घाव पाए गए। उसका शव घर के आँगन में पड़ा था। मृतका बेलमति बाई का शव भी आँगन में, कीर्तनराम के शव से लगभग 5 फीट की दूरी पर पड़ा था। उसकी दोनों टाँगें तोलिए से बँधी हुईं थीं तथा उसके मुँह में एक डंडा घुसा हुआ पाया गया। उसके शरीर पर भी अनेक चोटें थीं। दोनों शवों को सरकारी अस्पताल भेजा गया, जहाँ डॉ. बी.के. झा (अ.सा..-12) ने पोस्टमार्टम परीक्षण किया और मृतक कीर्तनराम के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

I. बाँए टिबिया (left tibia) पर 1 इंच × 1⁄4 इंच का चीरा घाव (lacerated wound);

II. उदर के बाँए भाग (left flank of abdominal region) पर 6 इंच × 1 इंच का नीलाभ चकत्ता (mark of ecchymosis);

III. दाएँ हाइपोकॉन्ड्रियम (right hypochondrium) पर 5 इंच × 1 इंच का नीलाभ चकत्ता;

IV. खोपड़ी के बाँए पार्श्वीय भाग (left parietal zone of scalp) पर 1 इंच × 1/4 इंच का चीरा घाव;

V. बाँए कान की पिन्ना (left ear pinna) पर 2 इंच × 1 इंच का चीरा घाव, जिसमें हेमेटोमा (haematoma) पाया गया;

VI. बाँए पार्श्व-कपाल क्षेत्र (left parietotemporal region) पर 2 इंच × 2 इंच का हेमेटोमा;

VII. बाँए कंधे के क्षेत्र (left shoulder region) पर 6 इंच × 4 इंच का हेमेटोमा;

VIII. बाँए अग्रबाहु (left forearm) पर 2 इंच × 1 इंच का नीलाभ चकत्ता; तथा

IX. छाती के दाएँ भाग पर 3 इंच × 1 इंच का नीलाभ चकत्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आंतरिक परीक्षण खोपड़ी के भीतर रक्त के थक्के पाए गए। मस्तिष्क के बाँए टेम्पोरल एवं ऑक्सिपिटल क्षेत्र में भी रक्तस्राव एवं थक्के पाए गए। मरणोपरांत चिकित्सक की राय मृतक की मृत्यु कोमा की अवस्था में हुई, जो खोपड़ी पर प्राप्त घावों से हुई मस्तिष्क की जीवनोपयोगी केंद्रों की क्षति एवं रक्तस्राव के कारण हुई थी। मृत्यु हत्या थी। मृतक कीर्तनराम का पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श-पी/22 है।

डॉ. बी. के. झा (अ.सा..-12) द्वारा मृतका बेलमति बाई के शरीर पर की गई चिकित्सकीय जांच में निम्नलिखित चोटें पाई गईं:—

I. अग्र कपाल अस्थि (frontal bone) पर 1 इंच × ½ इंच का चीरा घाव (lacerated wound);

II. दाईं पार्श्विक अस्थि (right parietal bone) पर 2 इंच × 1 इंच का चीरा घाव;

III. दाईं पार्श्विक अस्थि पर 2½ इंच × 1 इंच का एक अन्य चीरा घाव, जो चोट क्रमांक (ii) के ऊपर आच्छादित था;

IV. ऊपरी दंत-पंक्ति के दो आगे के दाँत (incisors) एवं एक दाईं ओर का दाढ़ (right upper canine tooth) टूटे हुए थे; उनके सॉकेट लाल एवं सूजे हुए (red and inflamed) पाए गए। मुँह के भीतर 2 इंच × 1 इंच का नीलाभ चकत्ता (ecchymosis) पाया गया;

V. बाँए अग्रबाहु (left forearm) के मध्य भाग में 2 इंच × 1 इंच का नीलाभ चकत्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आंतरिक परीक्षण मस्तिष्क में रक्तस्राव पाया गया एवं मस्तिष्क संकुचित अवस्था में था। चिकित्सक की राय सभी चोटें जीवित-अवस्था की थीं। मृत्यु का कारण मस्तिष्क के जीवनोपयोगी केंद्रों पर लगी चोटों से उत्पन्न कोमा एवं मस्तिष्क में रक्तस्राव था। मृत्यु हत्या थी। मृतका बेलमति बाई का पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श-पी/23 है।

घटना स्थल से मृतकों से संबंधित विभिन्न वस्तुएँ, रक्तरंजित मिट्टी, सादी मिट्टी तथा डंडे जप्त किए गए। मृतका बेलमति बाई के बताए गए तीन दाँत भी घटनास्थल से बरामद कर जब्त किए गए। आगे की विवेचना के दौरान अभियुक्तगण के कपड़े भी जब्त किए गए। सभी जब्त वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण हेतु विज्ञान प्रयोगशाला, सागर भेजा गया, जिसका प्रेषण ज्ञापन प्रदर्श-पी/29 है। वहाँ से प्राप्त रासायनिक परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श-

पी/31 के अनुसार, अभियुक्तगण के कपड़ों, मृतकों से संबंधित विभिन्न वस्तुओं तथा डंडों पर रक्त के धब्बे (blood stains) पाए गए।

सामान्य विवेचना पूर्ण होने के पश्चात्, अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोग-पत्र (charge-sheet) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धरमजयगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त न्यायालय द्वारा यह मामला सत्र न्यायालय, रायगढ़ को प्रतिवेदन (committal) किया गया, जहाँ से यह प्रकरण प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ के न्यायालय में स्थानांतरित हुआ। उक्त न्यायालय ने विचारण (trial) कर अभियुक्तगण को उपर्युक्त रूप से दोषसिद्ध (convicted) एवं दंडित (sentenced) किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अभियुक्तगण का दोषसिद्धि (conviction) केवल सुरुबाई (अ.सा..-6) की एकमात्र गवाही (sole testimony) पर आधारित है।
6. श्री अभय तिवारी, विद्वान अधिवक्ता, जो अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित हुए, ने यह तर्क दिया कि सुरुबाई (अ.सा..-6) मृतक की पत्नी थी, अतः वह एक स्वार्थी (interested) साक्षी है, और केवल सुरुबाई (अ.सा..-6) की एकमात्र गवाही के आधार पर किया गया दोषसिद्धि (conviction) का आदेश टिकाऊ नहीं है।
7. दूसरी ओर, श्री जमील अख्तर लोहानी, राज्य की ओर से उपस्थित पैनल अधिवक्ता ने उपर्युक्त तर्कों का विरोध किया तथा सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

8. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा सत्र वाद के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।
9. **हरबंस कौर एवं एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य, 2005 AIR SCW 2074** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि ऐसा कोई विधिक सिद्धांत नहीं है कि रिश्तेदार

गवाहों को असत्यवादी माना जाए। इसके विपरीत, जब पक्षपात का आरोप लगाया जाता है, तब यह दिखाया जाना आवश्यक होता है कि गवाहों के पास वास्तविक अपराधी को बचाने और अभियुक्त को झूठा फँसाने का कोई कारण था।

10. **नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2007 AIR SCW 1835** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मृतक या अपराध के पीड़ित के रिश्तेदार गवाह को 'हितबद्ध (interested)' नहीं कहा जा सकता। "हितबद्ध" शब्द का तात्पर्य उस गवाह से है जिसका अभियुक्त को किसी दुर्भावना या किसी अन्य अप्रत्यक्ष उद्देश्य से दोषसिद्ध कराने में प्रत्यक्ष या परोक्ष हित हो। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि निकट संबंधी को 'हितबद्ध गवाह' नहीं कहा जा सकता, वह एक **स्वाभाविक (natural)** गवाह होता है। तथापि, उसके साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। यदि ऐसी जांच के पश्चात उसका साक्ष्य आंतरिक रूप से विश्वसनीय, स्वाभाविक रूप से संभाव्य एवं पूर्णतया भरोसेमंद पाया जाता है, तो ऐसे गवाह के **एकमात्र साक्ष्य** के आधार पर भी अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है। मृतक या पीड़ित के साथ गवाह का निकट संबंध होना उसके साक्ष्य को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। इसके विपरीत, मृतक का निकट संबंधी सामान्यतः वास्तविक अपराधी को छोड़कर किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फँसाने से सर्वाधिक हिचकिचाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. **सोनेलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2008 AIR SCW 7988** में, सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः कहा कि केवल इसलिए कि चक्षुदर्शी साक्षी परिजन हैं, उनकी गवाही को स्वयमेव खारिज नहीं किया जा सकता। सम्बन्धी साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि सम्बन्धी वास्तविक अपराधी को छिपाकर निर्दोष व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाते। यदि झूठी संलिप्तता के दावे/अभिवचन का उल्लेख किया गया है, तो उसका आधार प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऐसे मामलों में, न्यायालय को सावधान दृष्टिकोण अपनाना

चाहिए और यह विश्लेषण करना चाहिए कि क्या प्रस्तुत साक्ष्य तर्कपूर्ण/तर्कसंगत और विश्वसनीय हैं।

12. **धरणीधर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2010) 7 SCC 759** में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः यह दोहराया कि ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है कि परिवार के सदस्य कभी भी घटना के सच्चे साक्षी नहीं हो सकते या वे सदैव न्यायालय के समक्ष झूठा बयान देंगे। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि मृतक का निकट संबंधी मात्र इस कारण से "हितग्राही साक्षी" नहीं बन जाता। "हितबद्ध साक्षी" वह होता है जो प्रतिशोध, वैमनस्य या व्यक्तिगत विवाद के कारण किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध करवाने में रुचि रखता है और न्यायालय के समक्ष केवल उसी उद्देश्य से बयान देता है, न कि न्याय के उद्देश्य से। हालाँकि ऐसे साक्षी का कथन केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे सावधानीपूर्वक परखा जाना चाहिए। जब ऐसे साक्षियों के बयान अन्य स्वतंत्र साक्षियों, विशेषज्ञ साक्ष्य या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा पुष्ट (corroborate) होते हैं और साक्ष्यों की श्रृंखला स्पष्ट रूप से अभियुक्त के दोष की ओर संकेत करती है, तब तथाकथित " हितबद्ध साक्षी" के कथन पर न्यायालय भरोसा कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अतः यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि केवल इस आधार पर कि अ.सा..-6 मृतक की पत्नी थी, उसके बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तथापि, उसके साक्ष्य की सावधानीपूर्वक और सतर्कतापूर्वक परीक्षा की जानी चाहिए, और यदि उसके साक्ष्य को परिशीलन के उपरांत विश्वसनीय पाया जाता है, तो केवल उसके एकमात्र साक्ष्य के आधार पर भी अभियुक्तों के दोषसिद्धि को उचित ठहराया जा सकता है।

14. अब हम सुरुबाई (अ.सा..-6) के साक्ष्य का परीक्षण करेंगे।

15. सुरुबाई (अ.सा..-6) मृतक कीर्तनराम की दूसरी पत्नी है। उसने यह बयान दिया कि घटना की रात अभियुक्तगण उनके घर के पिछवाड़े के दरवाजे से अंदर घुसे। वे सब डंडों से लैस थे। अभियुक्त नंदराम और श्रीराम ने उसे बाँध दिया और उसके मुँह में कपड़ा ठूँस दिया। अन्य अभियुक्तों ने मृतकों के हाथ-पैर बाँध दिए और तत्पश्चात सभी ने मृतकों के सिर पर लाठियों से प्रहार किया, जिससे दोनों मृतकों की तत्काल मृत्यु हो गई। अभियुक्त दुकालू अपने पुत्रों से कह रहा था कि "इसके (अ.सा..-6 के) नाम कोई संपत्ति नहीं है, इसलिए इसे मत मारो।" इस कारण अभियुक्तगण उसे छोड़कर वहाँ से भाग गए। उसने किसी प्रकार अपने हाथ-पैर दाँतों से खोल लिए और नागा के घर भागी, तत्पश्चात वह दुबराज के घर गई। उसने पूरी घटना नागा, दुबराज तथा अन्य ग्रामीणों सहित शोकिलाल (अ.सा..-1) को सुनाई। शोकिलाल (अ.सा..-1) रिपोर्ट दर्ज कराने गया (प्रदर्श-पी/1)। उसने यह भी बताया कि पूर्व में दोनों परिवारों के बीच मुकदमेबाजी चल रही थी और यह भी कि वह एवं मृतक कीर्तनराम नि:संतान थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. यद्यपि सुरुबाई (अ.सा..-6) का प्रतिपक्ष द्वारा विस्तृत जिरह किया गया, परन्तु बचाव पक्ष उसके बयान से ऐसा कोई तथ्य निकाल पाने में असफल रहा, जिससे उसकी गवाही को अविश्वसनीय ठहराया जा सके या यह कहा जा सके कि उसने अभियुक्तों को झूठा फँसाया है। सुरुबाई (अ.सा..-6) का कथन प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/1) के विवरण से पुष्ट होता है, जो शोकिलाल (अ.सा..-1) द्वारा उसी रात तत्परतापूर्वक दर्ज कराई गई थी, जिसे सुरुबाई (अ.सा..-6) ने स्वयं घटना की जानकारी दी थी। रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/1) में सभी छह अभियुक्तों के नाम और घटना का पूरा विवरण अंकित है। शोकिलाल (अ.सा..-1) को अभियोजन पक्ष द्वारा शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया क्योंकि उसने अभियोजन के पक्ष का सही समर्थन नहीं किया। यद्यपि उसने यह स्वीकार किया कि उसने रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/1) दर्ज कराई थी, किंतु

यह भी जोड़ा कि सुरुबाई (अ.सा..-6) ने उसे रात में हमलावरों के नाम नहीं बताए थे। माननीय सत्र न्यायाधीश ने यह पाया कि रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/1) उस व्यक्ति द्वारा विधिवत सिद्ध की गई, जिसने उसे दर्ज किया था। साक्ष्यों के मूल्यांकन पर सत्र न्यायाधीश ने यह माना कि शोकिलाल (अ.सा..-1) की गवाही विश्वसनीय नहीं है। प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया कि सुरुबाई (अ.सा..-6) की गवाही को उस शत्रुतापूर्ण गवाह शोकिलाल (अ.सा..-1) के अविश्वसनीय बयान के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता, जिसने रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद अपना रुख बदल लिया था।

17. सुरुबाई (अ.सा..-6) घर की एक सदस्य थी। विपरीत साक्ष्य के अभाव में, उसके अपने ही घर में रात्रि के समय उपस्थित होने पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। वह एक स्वाभाविक (natural) साक्षी थी। हमें यह प्रतीत होता है कि सुरुबाई (अ.सा..-6) का कथन चिकित्सकीय साक्ष्यों से पूर्णतः पुष्ट होता है। उसने यह बयान दिया कि अभियुक्तगणों ने मृतकों पर डंडों से प्रहार किया था। शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक ने भी मृतकों के शरीर पर उपर्युक्त चोटें पाई हैं। ये चोटें कठोर एवं कुंद वस्तु, जैसे डंडे से, जो अभियुक्तों द्वारा प्रयुक्त किए गए थे, लगने से आ सकती हैं, जैसा कि सुरुबाई (अ.सा..-6) ने अपने बयान में कहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, सुरुबली (अ.सा..-6) की एकल गवाही पूर्णतः विश्वसनीय थी। हमें सुरुबली (अ.सा..-6) के साक्ष्य में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती। सत्र न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि अपीलार्थी उनके घर में प्रवेश किए और उन्होंने घातक हथियारों से मृतक पर प्राणघातक आक्रमण करने में भाग लिया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई — इस निष्कर्ष को अनुचित नहीं कहा जा सकता।

19. यथोचित विचार के उपरांत, हम यह पाते हैं कि सत्र न्यायालय द्वारा दी गई दंडादेश उचित रूप में नहीं है। सत्र न्यायालय ने अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के

अंतर्गत दंडित किया है। धारा 149 भारतीय दंड संहिता किसी स्वतंत्र अपराध की सृष्टि नहीं करती। वस्तुतः यह किसी अवैध सभा के सदस्य को, उस सभा के अन्य सदस्यों द्वारा किए गए अपराधों के लिए दायित्वयुक्त बनाती है। इस धारा का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि यदि किसी अभियुक्त का मामला इस धारा के अंतर्गत आता है, तो वह यह प्रतिरक्षा प्रस्तुत नहीं कर सकता कि अपराध करते समय चोट या गम्भीर चोट पहुँचाने वाला व्यक्ति वह स्वयं नहीं था, जबकि अपराध अवैध सभा के किसी सदस्य द्वारा किया गया हो। अर्थात, धारा 149 कोई स्वायत्त या मूलभूत अपराध उत्पन्न नहीं करती तथा इस धारा के अंतर्गत पृथक दंड नहीं दिया जा सकता। अतः, माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा धारा 149 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दिया गया पृथक दंडादेश निरस्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. माननीय सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 449 एवं 460 के अंतर्गत भी दंडित किया है। धारा 449 मृत्युदंड से दंडनीय अपराध करने के उद्देश्य से गृह-अतिचार से संबंधित है, और यह प्रावधान करती है कि जो कोई किसी ऐसे अपराध को करने के उद्देश्य से घर में अनधिकार प्रवेश करता है जो मृत्युदंड से दंडनीय है, उसे आजीवन कारावास या अधिकतम दस वर्ष तक के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, तथा उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। धारा 460 रात्रि में छिपकर गृह-अतिचार या घर-भेदन) करने में सम्मिलित व्यक्तियों की सामूहिक दायित्व की बात करती है और उस स्थिति में दंड का प्रावधान करती है जब उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा मृत्यु या गम्भीर चोट पहुंचाई जाती है। यह धारा यह निर्धारित करती है कि यदि रात्रि में छिपकर घर में अनधिकार प्रवेश करने या घर-भेदन करने के समय ऐसा व्यक्ति जो उक्त अपराध में दोषी है, स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को मृत्यु या गम्भीर चोट पहुँचाता है या उसका प्रयास करता है, तो ऐसे सभी व्यक्ति जो उस अपराध में सम्मिलित थे, उन्हें आजीवन कारावास या अधिकतम दस वर्ष तक के कारावास

से दंडित किया जाएगा और उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। हम यह पाते हैं कि दोनों धाराओं में " गृह-अतिचार का तत्व एक समान है और धारा 460 का दायरा अधिक व्यापक है। धारा 449 के अंतर्गत मृत्युदंड से दंडनीय अपराध का वास्तविक घटित होना आवश्यक नहीं है; यदि ऐसा सिद्ध हो जाए कि उक्त अपराध को करने के उद्देश्य से गृह-अतिचार किया गया था, तो अभियुक्त व्यक्ति धारा 449 के अंतर्गत दंडनीय होगा। वहीं धारा 460 के अंतर्गत, यदि कोई व्यक्ति रात्रि में छिपकर घर में अनधिकार प्रवेश करता है या घर-भेदन करता है और स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को मृत्यु या गम्भीर चोट पहुँचाता है या उसका प्रयास करता है, तो ऐसे अपराध में सम्मिलित सभी व्यक्ति दंड के लिए उत्तरदायी होंगे। धारा 460 "संरचनात्मक दायित्व" (constructive liability) के सिद्धांत को स्थापित करती है। यह उस स्थिति में लागू होती है जब अनेक व्यक्ति रात्रि में छिपकर घर-भेदन या गृह-अतिचार करते हैं और उनमें से कोई एक व्यक्ति, उक्त कृत्य करते समय, किसी व्यक्ति की मृत्यु या गम्भीर चोट का कारण बनता है या उसका प्रयास करता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक नहीं होता कि यह निर्धारित किया जाए कि वास्तविक रूप से मृत्यु या गम्भीर चोट पहुँचाने वाला व्यक्ति कौन था। तथापि, जो विशेष अभियुक्त मृत्यु का कारण बना है, वह धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंड से बच नहीं सकता। वर्तमान मामले में, अपीलार्थियों को धारा 149 भारतीय दंड संहिता की सहायता से दो मृत व्यक्तियों की हत्या करने हेतु उत्तरदायी ठहराया गया है। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें रात्रि में घर-भेदन करते समय किसी एक अपीलार्थी ने मृतक की हत्या की हो, ताकि उस पर धारा 460 के सिद्धांत के आधार पर दायित्व आरोपित किया जा सके। प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, यदि सभी अपीलार्थियों को अवैध सभा के सामान्य उद्देश्य के सिद्धांत के आधार पर धारा 302 सहपठित धारा 149 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय ठहराया गया है, तो उन्हें पृथक रूप से धारा 460 के अंतर्गत दंडित करना

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवश्यक नहीं था। अतः, प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलार्थियों को धारा 460 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दिया गया दंड भी निरस्त किया जाना आवश्यक है।

21. अतः, अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 148, 449 तथा 302/149 (दो गणनाओं में) के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि एवं दंडादेश को यथावत् पुष्टि करते हुए, हम उन्हें धारा 460 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि एवं दंडादेश को निरस्त करते हैं, तथा साथ ही उन्हें धारा 149 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दिए गए दंडादेश को भी निरस्त करते हैं।

22. अपील उपर्युक्त सीमा तक स्वीकार की जाती है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, अपीलार्थी क्रमांक 2 से 6 तक वर्तमान में जमानत पर हैं। उनकी जमानत-बांड निरस्त की जाती है तथा उनके जमानतदारों को अपील उपर्युक्त सीमा तक स्वीकार की जाती है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, अपीलार्थी क्रमांक 2 से 6 तक वर्तमान में जमानत पर हैं। उनकी जमानत-बांड निरस्त की जाती है तथा उनके जमानतदारों को मुचलको को उन्मोचित किया जाता है। अपीलार्थी क्रमांक 2 से 6 को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने विरुद्ध आरोपित शेष दंड की अवधि भोगने हेतु तत्काल आत्मसमर्पण करें। दायित्व-मुक्त किया जाता है। अपीलार्थी क्रमांक 2 से 6 को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने विरुद्ध आरोपित शेष दंड की अवधि भोगने हेतु तत्काल आत्मसमर्पण करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/- **सही/-**

श्री राजीव गुप्ता **श्री सुनील कुमार सिन्हा**

मुख्य न्यायाधिपति **न्यायाधीश**

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Abhishek Banjare, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur